

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र भाडखा
प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

सुरेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति
सोनी निवासी भाडखा तहसील व
जिला बाड़मेर।

1. बाबूलाल पुत्र जालूराम 2.
गेनाराम पुत्र जालूराम 3.
किस्तुराराम पुत्र जालूराम
जातियान कुम्हार निवासी
भाडखा तहसील बाड़मेर 4.
मुकनाराम पुत्र चोखाराम 5.
देराजराम पुत्र चोखाराम 6.
अचलाराम पुत्र चोखाराम 7.
अनाराम पुत्र चोखाराम 8.
जेठाराम पुत्र चोखाराम जाति
जाट निवासी भाडखा तहसील
व जिला बाड़मेर 9. उपवन
संरक्षक, बायतु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-171/2021 दिनांक-26.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाडखा, पटवार क्षेत्र भाडखा, तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 38.12 बीघा, के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित
तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के
मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 19/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6413-6416

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सुरेश पुत्र हीरालाल जाति सोनी, निवासी भाडखा तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बाबूलाल पुत्र जालूराम वगैराह जाति कुम्हार/जाट निवासी भाडखा,
तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

R/c
1 से 3